

## भारतीय भाषा, कला और संस्कृति: पुनर्जीवन की पहल

**डॉ. मीना जाधव**

प्रोफेसर हिंदी विभागाध्यक्ष

जवाहर कला, विज्ञान और वाणिज्य महाविद्यालय, अण्डूर

**डॉ. माधुरी गडसिंग**

सहायक प्राध्यापक, गणित विभाग

जवाहर कला, विज्ञान और वाणिज्य महाविद्यालय, अण्डूर

भारत आदिकाल से ही विद्या का केंद्र रहा है। भारत की गुरुकुल परंपरा विश्वप्रसिद्ध है। भारत के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्रों जैसे चार धाम, बारह ज्योतिर्लिंग आदि को जितनी श्रद्धा से देखा जाता है उतने ही आदर के साथ ज्ञान तीर्थ कहलाने वाले तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, पुष्टिगिरी विश्वविद्यालय आदि को याद किया जाता है। विशालकाय पुस्तकालय, जनसुलभ वैज्ञानिक प्रयोगशाला और विविध वैज्ञानिक संयंत्र (जंतर मंतर आदि) भारत के मानबिंदु हैं। लेकिन निरंतर होने वाले विदेशी आक्रमण, आक्रांताओं की दुष्टता और हमारे औदासिन्य ने काल के प्रवाह में हमारी शिक्षा-दिक्षा की परंपरा को खंडित ही नहीं किया अपितु संकुचित भी कर दिया। दीर्घ पराधीनता के बीच मैकाले की शिक्षा नीति के तहत अंग्रेजों के मातहत तयार होते रहे। स्वाधीनता प्राप्त होने के पश्चात भारतीय शिक्षा नीति बनाई गई। इस शिक्षा नीति में पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन वर्ष १९६८ में और फिर वर्ष १९८६ में किया गया। ३४ वर्ष पश्चात नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० पुरानी शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करेगी। स्वाभाविक है कि जब पूरी शिक्षा नीति ही नये रूप में आ रही है तो उस पर सकल चिंतन हो और व्यापक रूप से चर्चा हो।

भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति विश्व के आकर्षण का केंद्र है। भाषा, भोजन, वेशभूषा, तीज त्यौहार, मान्यताएं आदि की भिन्नता भारतीय संस्कृति को विशिष्टता प्रदान करती है। लेकिन भारत की भाषिक विविधता शिक्षा के क्षेत्र में एक चुनौती के रूप में दिखाई देती है। विश्वभाषा के रूप में अंग्रेजी का राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का महत्व अबाधित है वहीं क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों का भी महत्व है। छात्रों को त्रिभाषा सूत्र के अनुसार भाषाओं को पढ़ाने पर बल दिया गया है। इस दृष्टि से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषा, कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए किया गया प्रावधान इस प्रकार से है :

१- भाषा निसंदेह रूप से कला एवं संस्कृति से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। विभिन्न भाषाएं दुनिया को भिन्न तरीके से देखती हैं। इसलिए मूल रूप से किसी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति अपने अनुभव को कैसे समझता है या उसे किस प्रकार ग्रहण करता है यह उस भाषा की संरचना से तय होता है। विशेष रूप से किसी संस्कृति के लोगों का दूसरों के साथ बात करना जैसे परिवार के सदस्यों प्राधिकार प्राप्त व्यक्तियों, समकक्षों और अपरिचित आदि भाषा से प्रभावित होता है तथा बातचीत के तौर तरीकों को भी प्रभावित करती है। लहज़ा, अनुभव की समझ और एक ही भाषा के व्यक्तियों की बातचीत में अपनापन यह सभी संस्कृति का प्रतिबिंब और दस्तावेज है। अतः संस्कृति हमारी भाषाओं में समाहित है। साहित्य, नाटक, संगीत, फिल्म आदि के रूप में कला की पूरी तरह सराहना करना बिना भाषा के संभव नहीं है। संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए हमें उस संस्कृति की भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन करना होगा।

२- दुर्भाग्य से भारतीय भाषाओं को समुचित ध्यान और देखभाल नहीं मिल पाया जिसके तहत देश में विगत ५० वर्षों में ही २२० भाषाओं को खो दिया है। यूनेस्को ने १९७ भारतीय भाषाओं को लुप्तप्राय घोषित किया है। विभिन्न भाषाएं विलुप्त होने के कागार पर हैं। विशेषतः वे भाषाएं जिनकी लिपि नहीं हैं। जब किसी समुदाय या जनजाति के उस भाषा को बोलने वाले वरिष्ठ सदस्य की मृत्यु होती है तो अक्सर वह भाषा भी उनके साथ समाप्त हो जाती है; और प्रायः इन समृद्ध भाषाओं / संस्कृति की अभिव्यक्तियों को संरक्षित या उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए

कोई ठोस कार्रवाई या उपाय नहीं किए जाते। ३- इसके अलावा वह भारतीय भाषाएं भी जो अधिकारिक रूप से लुम्प्राय की सूची में नहीं हैं जैसे आठवीं अनुसूची की बावीस भाषाएं। वे भी कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। भारतीय भाषाओं के शिक्षण और अधिगम को स्कूल और उच्चतर शिक्षा के प्रत्येक स्तर के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है। भाषाएं प्रासंगिक और जीवंत बनी रहे इसके लिए भाषाओं में उच्च तथा पूर्व अधिगम एवं प्रिंट सामग्री का सतत प्रवाह बने रहना चाहिए जिसमें पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तक के वीडियो, नाटक कविताएं, उपन्यास पत्रिकाएं आदि शामिल हैं। भाषाओं के शब्दकोश और शब्द भंडारण को अधिकारिक रूप से लगातार अपडेट देते रहना चाहिए और उसका व्यापक प्रचार भी करना चाहिए ताकि समसामयिक मुद्दों और अवधारणाओं पर इन भाषाओं में चर्चा की जा सके। दुनिया भर के देशों द्वारा-अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिन्दी, कोरियाई जापानी भाषा में इस प्रकार की अधिगम सामग्री बनाने और दुनिया के अन्य भाषाओं की महत्वपूर्ण सामग्री का अनुवाद किया जाता है तथा शब्द भंडार को लगातार अद्यतन किया जाता है। परंतु अपनी भाषाओं को जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखने में मदद के लिए ऐसी अधिगम सामग्री, प्रिंट सामग्री और शब्दकोश बनाने के मामले में भारत की गति काफी धीमी रही है।

४- इसके अतिरिक्त कई उपाय करने के बाद भी देश में भाषा सिखाने वाले शिक्षकों की अत्यधिक कमी रही है। भाषा शिक्षण में भी सुधार किया जाना चाहिए ताकि वह अधिक अनुभव आधारित बने और उस भाषा में बातचीत और अंतःक्रिया करने की क्षमता पर केंद्रित हो न कि केवल भाषा के साहित्य, शब्द भंडार और व्याकरण पर। भाषाओं को अधिक व्यापक रूप में बातचीत और शिक्षण अधिगम के लिए प्रयोग में लिया जाना चाहिए।

४- स्कूली बच्चों में भाषा कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई पहलुओं की चर्चा की जा चुकी है जिसमें- सभी स्कूली स्तर पर संगीत कला और हस्तकौशल पर बल देना; बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करने के लिए त्रिभाषा फार्मूला का जल्द क्रियान्वयन, साथ ही जब संभव हो मातृभाषा में शिक्षा तथा अधिक अनुभव आधारित भाषा शिक्षण उत्कृष्ट स्थानीय कलाकारों, लेखकों कलाकारों एवं अन्य विशेषज्ञों को स्थानीय विशेषज्ञता के विभिन्न विषयों में विशिष्ट प्रशिक्षक के रूप में स्कूलों से जोड़ना, पाठ्यचर्या, मानविकी, विज्ञान, कला और हस्तकला में पारंपरिक ज्ञान का समावेश करना जब भी ऐसा करना प्रासंगिक हो। पाठ्यचर्या में अधिक लचीलापन विशेषकर माध्यमिक स्कूल और उच्चतर शिक्षा में ताकि विद्यार्थी एक आदर्श संतुलन कायम रखते हुए अपने लिए कोर्स का चुनाव कर सके जिससे वे स्वयं के सृजनात्मक, कलात्मक सांस्कृतिक एवं अकादमिक आयामों का विकास कर सके आदि शामिल हैं।

५- ऊपर उल्लिखित सभी कोर्स को विकसित करना एवं उनका शिक्षण, शिक्षकों एवं संकाय की उत्कृष्ट टीम का विकास करना होगा। भारतीय भाषाओं, तुलनात्मक साहित्य, सृजनात्मक लेखन कला, संगीत, दर्शनशास्त्र आदि के सशक्त विभागों एवं कार्यक्रमों को देशभर में शुरू किया जाएगा और उन्हें विकसित किया जाएगा साथ ही इन विषयों में दोहरी डिग्री ४ वर्षीय बीएड सहित डिग्री कोर्स विकसित किए जाएंगे। यह विभाग एवं कार्यक्रम विशेष रूप से उच्चतर योग्यता के भाषा शिक्षकों के एक बड़े कैडर को विकसित करने में मदद करेगा। साथ ही साथ कला, संगीत, दर्शन शास्त्र एवं लेखन के शिक्षकों को भी तैयार करेगा जिनकी देश भर में इस नीति को क्रियान्वित करने हेतु तुरंत आवश्यकता होगी। एनआरएस इन क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान हेतु वित्त मुहैया कराएगा। स्थानीय संगीत, कला, भाषाओं एवं हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्र जहां अध्ययन कर रहे हों वहां की संस्कृति एवं स्थानीय ज्ञान को जान सकें।

उत्कृष्ट स्थानीय कलाकारों एवं हस्तशिल्प में कुशल व्यक्तियों को अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान प्रत्येक स्कूल और स्कूल कॉम्प्लेक्स यह प्रयास करेगा कि कलाकार वहां निवास करें, जिससे कि छात्र कला, सृजनात्मकता तथा क्षेत्र / देश की समृद्धि को बेहतर रूप से जान सकें।

५- उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा उच्चतर शिक्षा के कार्यक्रमों में मातृभाषा / स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाएगा और कार्यक्रमों को द्विभाषी रूप में बनाया जाएगा ताकि पहुंच और सकल नामांकन अनुपात दोनों में बढ़ोतरी हो सके, इसके साथ ही सभी भारतीय भाषाओं की मजबूती उपयोग, एवं जीवंतता को प्रोत्साहन मिल सके। मातृभाषा / स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने या कार्यक्रमों को द्विभाषी रूप में चलाने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा एवं बढ़ावा दिया जाएगा। ४ वर्षीय बीएड डिग्री कार्यक्रम को दो भाषाओं में चलाने से भी मदद मिलेगी जैसे कि देश भर के विद्यालयों में विज्ञान को दो भाषाओं में पढ़ाने वाले विज्ञान और गणित शिक्षकों के कैडर के प्रशिक्षण में।

६- उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत अनुवाद और विवेचना, कला और संग्रहालय प्रशासन, पुरातत्व, कलाकृति संरक्षण, ग्राफिक डिजाइन एवं वेब डिजाइन के उच्चतर गुणवत्ता पूर्वक कार्यक्रम एवं डिग्रियों का आयोजन भी किया जाएगा। अपनी कला एवं संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री विकसित करना, कलाकृतियों का संरक्षण, करना संग्रहालय और विरासत या पर्यटन स्थलों को चलाने के लिए उच्चतर योग्यता प्राप्त व्यक्तियों का विकास करना, जिससे पर्यटन उद्योग को भी काफी मजबूती मिल सके।

७- यह नीति इस बात को स्वीकारती हैं कि शिक्षार्थियों को भारत की विविधता का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इसका अर्थ छात्रों द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण करने जैसी गतिविधियां को शामिल करना होगा जिससे ना केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भारत के विभिन्न हिस्सों की संस्कृति, परंपराओं और ज्ञान की समझ और सराहना होगी, “एक भारत श्रेष्ठ भारत” के तहत इस दिशा में देश के १०० पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी जहां संस्थान छात्रों को इन क्षेत्रों के बारे में ज्ञानवर्धन करने के लिए स्थलों और उनके इतिहास, वैज्ञानिक योगदान, परंपरा, स्वदेशी साहित्य और ज्ञान आदि का अध्ययन करने के लिए भेजेंगे।

८- उच्चतर शिक्षा में कला, भाषा और मानविकी के क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम बनाने से ऐसे रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर भी पैदा होंगे जो इन योग्यताओं का प्रभाव कारी उपयोग कर पाएंगे। अभी भी हजारों की संख्या में अकादमी या संग्रहालय, कला विथिकाएं और धरोहर स्थल हैं जिनको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है। जैसे ही योग्य व्यक्तियों से रिक्त पदों को भरा जाएगा एवं अधिक कलाकृतियों को जुटाया जाएगा, और संरक्षित किया जाएगा, इसके अतिरिक्त संग्रहालय (जिनमें आभासी संग्रहालय / ई संग्रहालय सहित) वीथिकाएं और धरोहर स्थल, हमारी विरासत और भारत के पर्यटन उद्योग को संरक्षित रख पाएंगे।

९- भारत शीघ्र ही अनुवाद एवं विवेचना से संबंधित अपने प्रयासों का विस्तार करेगा जिससे सर्वसाधारण को विभिन्न भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में उच्चतर गुणवत्ता वाली अधिगम सामग्री और अन्य महत्वपूर्ण लिखित एवं मौखिक सामग्री उपलब्ध हो सके इसके लिए इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन (आईआईटीआई) की स्थापना की जाएगी। इस प्रकार का संस्थान देश के लिए महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करेगा। साथ ही अनेक बहु-भाषी भाषा और विषय विशेषज्ञ तथा अनुवाद एवं व्याख्या के विशेषज्ञों को नियुक्त करेगा जिससे सभी भारतीय भाषाओं को प्रसारित और प्रचारित करने में मदद मिलेगी। आईआईटीआई समय के साथ स्वाभाविक रूप से उन्नति करेगा जैसे - जैसे अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की मांग बढ़ेगी संस्थान को उच्च शिक्षण संस्थानों सहित देशभर के विभिन्न स्थानों में खोला जा सकेगा ताकि अनुसंधान विभाग के साथ सहभागिता सुगम हो सके।

१०- संस्कृत भाषा के वृहद एवं महत्वपूर्ण योगदान तथा विभिन्न विधाओं एवं विषयों के साहित्य, सांस्कृतिक महत्व वैज्ञानिक प्रवृत्ति के चलते संस्कृत को केवल संस्कृत पाठशाला एवं विश्वविद्यालयों तक सीमित न रखते हुए इसे मुख्यधारा में लाया जाएगा। स्कूलों में त्रिभाषा फार्मूला के तहत एक विकल्प के रूप में, साथ ही साथ उच्च शिक्षा में भी इसे पृथक रूप से नहीं पढ़ाया जाएगा बल्कि रुचिपूर्ण एवं नवाचारी तरीकों से एवं अन्य

समकालीन एवं प्रासंगिक विषयों जैसे गणित, खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, नाटक विधा आदि से जोड़ा जाएगा। अतः नीति के बाकी हिस्से से संगतता रखते हुए संस्कृत विश्वविद्यालय भी उच्चतर शिक्षा के बड़े बहुविषयी संस्थान बनाने की दिशा में अग्रसर होंगे। वे संस्कृत विभाग जो संस्कृत एवं संस्कृत ज्ञान व्यवस्था के शिक्षण एवं उत्कृष्ट अंतरविषयी अनुसंधान का संचालन करते हैं, उन्हें संपूर्ण नवीन बहु-विषयी उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के भीतर स्थापित / मजबूत किया जाएगा। यदि छात्र चाहे तो संस्कृत उच्चतर शिक्षा का स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा। शिक्षा एवं संस्थाओं में वर्षीय बीएड डिग्री के द्वारा मिशन मोड में पूरे देश के संस्कृत शिक्षकों को बड़ी संख्या में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी।

११- इसी तरह सभी शास्त्रीय भाषा और साहित्य का अध्ययन करने वाले संस्थानों और विश्वविद्यालयों का विस्तार करेगा और उन हजारों पांडुलिपियों को इकट्ठा करने, सुरक्षित करने, अनुवाद करने और उनका अध्ययन करने के मजबूत प्रयास करेगा, जिन पर अभी तक ध्यान नहीं गया है। इसी प्रकार के सभी संस्थानों एवं विश्वविद्यालय जिनमें शास्त्रीय भाषा एवं साहित्य को पढ़ाया जा रहा है उनका प्रसार किया जाएगा। अभी तक उपेक्षित रखे लाखों अभिलेखों के संग्रह, संरक्षण अन्वाद एवं अध्ययन के दृढ़ प्रयास किए जाएंगे। देशभर के संस्कृत एवं सभी भारतीय भाषाओं के संस्थानों एवं विभागों को उल्लेखनीय रूप से मजबूत किया जाएगा। छात्रों के ए बैच को बड़ी संख्या में अभिलेखों एवं अन्य विषयों के साथ उनके अंतर संबंधों के अध्ययन का समुचित शिक्षण दिया जाएगा। शास्त्रीय भाषा के संस्थान अपनी स्वायतता को बरकरार रखते हुए विश्वविद्यालयों के नाथ सम्बद्ध होने या उनमें विलय का प्रयास करेंगे ताकि एक सुदृढ़ एवं गहन बहुविषयों कार्यक्रम के हिस्से के तौर र संकाय काम कर सके एवं छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। समान उद्देश्य प्राप्त करने के लिए भाषाओं को नर्मर्पित विश्वविद्यालय भी बहुभाषी, बहु-विषयी बनेंगे; जहां प्रासंगिक होगा वे शिक्षा एवं उस भाषा में बी.एड. दोहरी डिग्री प्रदान करेगी ताकि उस भाषा के उत्कृष्ट भाषा शिक्षक तैयार हो सके। इसके अलावा यह भी प्रस्तावित है कि भाषाओं के लिए एक नया संस्थान स्थापित किया जाएगा। विश्वविद्यालय के परिसर में एक पाली, फारसी एवं प्राकृत भाषाओं के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया जाएगा। जिन संस्थानों एवं विश्वविद्यालय में भारतीय कला का इतिहास एवं भारत विद्या का अध्ययन किया जा रहा है, वहां भी इसी प्रकार के कदम उठाए जाएंगे। इन सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट अनुसंधान को एनआरएफ द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा। १२- शास्त्रीय आदिवासी और लुप्तप्राय भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं को संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए। प्रयास नए जोश के साथ किए जाएंगे। प्रौद्योगिकी एवं क्राउडसोर्सिंग, लोगों की व्यापक भागीदारी के साथ इन प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

१३- भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक भाषा के लिए अकादमी स्थापित की जाएगी जिनमें हर भाषा से श्रेष्ठ विद्वान एवं मूल रूप से वह भाषा बोलने वाले लोग शामिल रहेंगे ताकि नवीन अवधारणाओं का सरल किंतु सटीक शब्द भंडार तय किया जा सके तथा नियमित रूप से नवीनतम शब्दकोश जारी किया जा सके। इन शब्दों कोशों के निर्माण के लिए एक अकादमी एक दूसरे से परामर्श लेंगी। कुछ मामलों में आम जनता के सर्वश्रेष्ठ सुझाव को भी लेंगे। जब भी संभव हो सारे शब्दों को अंगीकृत करने का प्रयास किया जाएगा शब्दकोश व्यापक रूप से प्रसारित किए जाएंगे ताकि शिक्षा पत्रकारिता, लेखन, बातचीत आदि में इस्तेमाल किया जा सके एवं किताब के रूप में तथा ऑनलाइन उपलब्ध हो। आठवीं अनुसूची की इन भाषाओं के लिए अकादमियों को केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अथवा उनके साथ मिलकर स्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार व्यापक पैमाने पर बोली जाने वाली अन्य भारतीय भाषाओं की अकादमी केंद्र अथवा और राज्य सरकार द्वारा स्थापित की जाएगी।

१४- सभी भारतीय भाषा और उनसे संबंधित समृद्ध, स्थानीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण हेतु सभी भारतीय भाषाओं एवं उनसे संबंधित स्थानीय कला एवं संस्कृति का वेब आधारित प्लेटफार्म पोर्टल, विकिपीडिया

के माध्यम से दस्तावेजीकरण किया जाएगा। प्लेटफार्म पर वीडियो शब्दकोश रिकॉर्डिंग एवं अन्य सामग्री होगी जैसे लोगों द्वारा भाषा बोलना, विशेषकर बजुगों द्वारा कहानियां सुनाना कविता पाठ करना नाटक खेलना, लोक गायन एवं नृत्य करना आदि। देश भर के लोगों को इन प्रयासों में योगदान देने के लिए आमंत्रित जाएगा एवं जिससे वह प्लेटफार्म, पोर्टल, विकिपीडिया पर प्रासांगिक सामग्री जोड़ सकेंगे। विश्वविद्यालय एवं उनकी शोध टीम एक दूसरे के साथ तथा देश भर के समुदायों के साथ काम करेंगी ताकि इन प्लेटफार्म को और समृद्ध किया जा सके तथा इनसे जुड़े अनुसंधान परियोजना उदाहरण के लिए इतिहास, पुरातत्व भाषा विज्ञान आदि को वित्तीय सहायता दी जाएगी।

१४- स्थानीय मास्टर्स तथा उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय भाषाओं कला एवं संस्कृति के अध्ययन के लिए सभी आयु के लोगों के लिए छात्रवृत्ति की स्थापना की जाएगी। भारतीय भाषाओं का संवर्धन एवं प्रसार तभी संभव है जब उन्हें नियमिततौर पर प्रयोग किया जाएगा तथा शिक्षण अधिगम के लिए प्रयोग किया जाएगा। भारतीय भाषाओं में विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कविताएं एवं गद्य के लिए पुरस्कार की स्थापना जैसे प्रोत्साहन के कदम उठाए जाएंगे ताकि सभी भारतीय भाषाओं में जीवंत कविताएं, उपन्यास, पाठ्य पुस्तकें, कथेतर साहित्य का निर्माण एवं पत्रकारिता जैसे अन्य कार्य सुनिश्चित किए जा सके। भारतीय भाषाओं में प्रवीणता को रोजगार के मानदंडों के एक हिस्से के तौर पर शामिल किया जाएगा। प्रस्तुत प्रावधान का अध्ययन करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की शिक्षा नीति को एक नई दिशा देने में सक्षम है। यह पहली बार हुआ है कि भारत की आठवीं अनुसूची की बावीस भाषाओं को प्रबल बनाने का सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है साथ ही भारत की क्षेत्रीय भाषाओं को जीवंत रखने का प्रयास किया गया है प्रायः ऐसा होता है कि केवल नीतियां बनती हैं लेकिन उन्हें कृति में परिवर्तित करने का समर्थनीय प्रयास नहीं होता। ३४ वर्ष पश्चात यह पहला प्रयास है कि भारतीय कला, संस्कृति और भाषा को संवर्धित करने का प्रयास किया गया है। संस्कृत भाषा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया है। लक्षणीय बात यह भी है कि कहीं भु अंग्रेजी का विरोध नहीं है। राज्य सरकार को त्रिभाषा के लिए बाध्य नहीं किया है। स्थानीय कलाकारों, शिल्पियों, लोक कलाकारों, क्षेत्रीय भाषा के जानकारों को शिक्षा नीति में सम्मिलित कर आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। शिक्षा नीति का निर्माण तो उचित ढंग से किया गया है अब देखना यह है कि यह वास्तव में किस प्रकार प्रयोग में आएगा। भारतीय भाषा कला और संस्कृति विश्व में वंदनीय मानी गई है शिक्षा नीति में उसके सार्थक प्रयोग से वह पुनः स्थापित होगी और भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में सक्षम होगी।

### संदर्भ :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, २०२०

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार

<https://www.bbc.com/hindi/india-53593928>

.....» ■ ■ ■ «.....



Principal

Jawahar Arts, Science & Commerce College,  
Andur Tal. Tuljapur Dist, Osmanabad